लिंग आधारित हिंसा के विरूद्ध संघर्ष में महिलाओं की विशेष पहल

प्रियंका श्रीवास्तव*

''आज नारी को आसरा नहीं साथ चाहिए,
खामोशी नहीं सुलझी सी बात चाहिए,
हमेशा से करती आयी है
सबके लिए जीवन न्यौछावर,
अब बिना पंखों के ही,
न रूकने वाली उड़ान चाहिये,
देवी नहीं बनना चाहती हैं वो
बस उसे अब अपनी पहचान चाहिये।

सफलता मिलेगी जब लड़किया मन से हर किस्म का भय निकालें। असुरक्षा, भेदभाव, विफलता, विपरीत स्थितियों से डर जिस दिन खत्म होगा, उसी दिन से सफलता की राह तैयार होने लगेगी।

हमारा समाज पितृसत्तात्मक है लड़की को कमजोर करने की पूरी कोशिश की जाती है लड़कीयों को इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है कि वे खुद को कमजोर या दोषी न समझें। अगर मजबूत सपोर्ट सिस्टम हो तो लड़किया बहुत बेहतर कर सकती है।

सभी जानते हैं समझते हैं कि औरतों में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा सामर्थ्य होता है वो अपनी नौकरी या फिर व्यवसाय के बावजूद अपने घर एवं बच्चों की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा सकती है और निभाती है जो सामान्यतः पुरुष नहीं कर पाते। शायद पुरुषवादी समाज को डर है कि अगर वो शिक्षित हुई तो उनकी सत्ता अनके हाथों से चली जाएगी, शायद इसलिए भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद स्त्रियों को आजतक समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। ग्लोबल जेण्डर गैप इन्डेक्स से पता चलता है कि 142 देशों की सूची में भारत 114 वें स्थान पर है।

***National Crime records Bureou* के अनुसार एक महिला हर तीसरे मिनट में हिंसा का शिकार होती हैं, हर 29 मिनट में बलात्कार का शिकार होती हैं, हर 77 मिनट में दहेज हत्या का शिकार होती हैं, हर 9 मिनट में अपने पति अथवा पति के सम्बन्धी द्वारा क्रूरता का शिकार होती हैं।**

एक लोकतांत्रिक देश होने की सबसे बड़ी खुबी यह होनी चाहिए कि वहाँ सभी वर्गों के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलें। संविधान के द्वारा भारत की स्त्रियों को शिक्षा और समानता का अधिकार दिलाने वाले डॉ0 अम्बेडकर स्त्री शिक्षा पर ज्यादा जोर देते थे, इनका मानना था कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित करती है क्योंकि वह बालक की पहली शिक्षक होती है।

पहला कदम ही मुश्किल होता है, उस हिचक को तोड़ दे तो आगे राहें सुगम हो जाती हैं।

''जिस दिन मंजिल मिल जाएगी तो सफर का दर्द भूल जाएगा।''

महिलाओं को महिला सशक्तिकरण और समान अधिकारों की बात करना जरूरी है लेकिन स्त्रीत्व की कीमत पर उन्हें आजादी नहीं, बल्कि एक मानव होने के नाते अधिकार चाहिए।

वर्तमान भारत में स्त्रियाँ प्रायः प्रत्येक व्यवसाय करती हुयी देखी जा सकती हैं। सन् 1956 के 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा हिन्दू स्त्रियों को माता, पत्नी और पुत्री को जायदाद में पुरूषों के समान ही सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हो गयें। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ। और भी ऐसे बहुत से अधिनियम बनाये गये। परन्तु क्या ये अधिनियम बनाने में तथा इसके पश्चात् सामाजिक बदलाव लाने में तथा इस विकास की विलक्षण यात्रा के दौरान वास्तव में महिलाएं केवल मूक दर्शक बनी रही।

* शोध छात्रा, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

ऋग्वैदिक सभ्यता में महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार थे। पुरुषों की तरह महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थीं, ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं, और उनके लिए उपनयन संस्कार भी प्रचलित था। महिलायें वेदों का अध्ययन करती थीं, और वैदिक भजनों की रचना भी करती थीं। घोषा, अपाला, विश्वारा, आदि महिलाओं ने उच्च कोटि के वैदिक भजनों की रचना की थी। उपनिषद् काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिला ऋषि थीं। महिलाओं को सम्पत्ति का और विधवाओं को पुनर्विचार करने के अधिकार प्राप्त थे। वे अध्यापन का कार्य भी करती थीं अतः महिलायें पुरुषों से विलग नहीं थीं, उनको सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। बाल विवाह भी प्रचलित नहीं था। परन्तु धनी लोगों व शासक वर्गों में बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी।

महिलाओं की अच्छी स्थिति ऋग्वैदिक काल के अन्त में बिगड़ने लगी। अब पुत्री को एक अभिशाप माना जाने लगा। महिलाओं को सम्पत्ति के अधकार से हटाया जाने लगा। फिर भी महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी तथा अध्ययन कार्य करती थीं। गुप्तकाल में महिलाओं की स्थिति में वास्तविक रूप में विरूपता आयी। इसी युग में दहेज प्रमुख संस्था बनी। विधवाएं पुनः विवाह नहीं कर सकती थी। महिलाओं को वास्तविक सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। 1206–1761 के काल में महिलाओं की स्थिति और खराब हो गयी। इस काल में बालिका हत्या, बाल–विवाह, पर्दा प्रथा, जौहर, सती और दासता जैसी प्रमुख सामाजिक बुराइयों के कारण महिलाओं की स्थिति और अधिक प्रभावित हुयी। 1857 के गदर से भारतीय महिलाओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया। कित्तूर की रानी चेनम्मा, कुमारी मैना, मैडम कामा, सरोजनी नायडू, रानी गिडालू, कल्पना दत्त, दुर्गा भाभी, प्रीतिलता वाडेकर, लीला नाग, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पण्डित, कस्तूरबा गॉधी, डॉ मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, मातंगिनी हजारा, मीराबेन, सुचेता कृपलानी, इंदिरागाँधी, अरूणा आसफ अली, सुशीला देवी, भगिनी निवेदिता, उषा मेहता, हंसा मेहता आदि अनेक महिलाओं ने अपनी लेखनी, अपने सहयोग व अपने बलिदान से राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया है।

ब्रिटिश काल में कुछ ब्रिटिश समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार का प्रयास किया। दिल्ली में चार्ल्स मैटकॉफ ने सती प्रथा को बन्द किया। 1774 में बालिका हत्या को बंगाल नियमन 21 के अन्तर्गत हत्या घोषित किया गया। 1919 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। फिर भी स्वतन्त्रता पूर्व महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी।

स्वतन्त्रता के बाद सरकारों, महिला संगठनों, महिला आयोगों आदि के प्रयासों से महिलाओं के लिए विकास के द्वार खुले। उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ जिसे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक प्रावधान बनाये गये। महिलाओं के उत्थान के लिये विभिन्न अर्थनीतियों का सम्पादन किया गया। सरकार ने नवीन अवधारणा के रूप में पिछले दशक में जेण्डर बजटिंग के माध्यम से भी महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया है।

- सन् 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम द्वारा बाल विवाह का अन्त कर दिया गया है।
- 1961 के 'दहेज निरोधक अधिनियम' के द्वारा दहेज लेना अपराध घोषित कर दिया गया है।
- सन् 1955 के हिन्दू विवाह तथा विवाह–विच्छेद अधिनियम और सन् 1954 के विशेष विवाह अधिनियम ने महिलाओं को धार्मिक व अन्य सभी प्रकार के प्रतिबन्धों से दूर विवाह करने की आज्ञा दे दी है।
- 1829 सती प्रथा निषेध कानून।

अब बहुपत्नी विवाह गैर–कानूनी है, अन्तर्जातीय विवाह मान्य है, और महिलाओं को विवाह–विच्छेद का भी पूर्ण अधिकार है। इसी कारण विधवा पुनर्विवाह भी अब कानूनी रूप से मान्य है।

जेण्डर (Gender):- ''जेण्डर एक व्याकरण का ऐसा शब्द है जो लक्षणों के ऐसे विस्तार से सम्बन्धित है जो पुरूष एवं स्त्री प्रकृति के अन्तर को प्रदर्शित करता है।''(Wikipedia)

हिंसा

महात्मा गांधी के अनुसार ''अहिंसा से तात्पर्य है विश्व के किसी भी प्राणी को विचार, शब्द या कार्य से क्षति न पहुँचाना। उनके अनुसार अहिंसा मानव जाति का विधान या नियम है। ''हिंसा न करना अर्थात् किसी को शारीरिक एवं मानसिक चोट न पहुँचाना अहिंसा का अभावात्मक अर्थ है। इसका भावात्मक अर्थ चेतनशील वेदना है।

जेण्डर आधारित हिंसा के प्रकार

- कन्या भ्रूण हत्या
- बाल यौन शोषण
- बलात्कार/यौन हिंसा
- घरेलू हिंसा
- देह व्यापार
- दहेज हत्या
- लैंगिक दुर्व्यवहार

❖ दहेज के मामले में ''तरविदंर कौर'' नामक युवती की हत्या इसलिये कर दी गयी क्योंकि उसके माता–पिता उसके ससुराल वालों की दहेज की मांग को पूरी नहीं कर पाये थे। इसी प्रकार एक के बाद एक लड़किया जल कर मरने लगी 1980 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में महिला एक्टीविस्टों का ध्यान अखबार में छपी उन तमाम औरतों के जलकर मरने की खबरों की ओर गया जिनमें घटनाक्रम लगभग समान होते थे। यों इन घटनाओं के आकस्मिक घटित होने वाली घटनाओं की तरह रिपोर्ट किया जाता लेकिन अनेकों समानताओं जैसे मिट्टी के तेल के स्टोव के फटने से नई व्याहता लड़कियों की मृत्यु के तथ्य को आकस्मिक घटना के रूप में ग्रहण करना मुश्किल हो गया। अध्ययनों में यह भी निकलकर आया कि सभी केसों में दहेज की माँग भी शामिल होती थी। पुलिस घटना–स्थल को सील करने में भी समय लगाती थी। फलस्वरूप लड़की के ससुराल वालों को सबूत नष्ट करने के लिये पर्याप्त समय मिल जाता था। जहाँ कहीं भी खोजबीन की जाती वहाँ भी अधिकांश लड़कियाँ पति के खिलाफ कुछ भी कहने से हिचकिचाती थीं और कभी संस्कार और कभी ससुराल वालों के डर की वजह से वे लड़कियाँ सारा इल्जाम अपने सर ले लेती थीं और इस प्रकार हत्याएं हादसे बन जाते थे।

❖ सन् 1980 के दशक के शुरू में एक 70 वर्षीय मुस्लिम महिला शाहबानों ने अपने पति (जिसने उसे तलाक दे दिया था) से गुजारे भत्ते की मांग की। उसके पति ने गुजारा भत्ता देने से यह कहकर इन्कार कर दिया कि मुसलिम निजी कानून के तहत यह ऐसा करने को बाध्य नहीं है। शाहबानों ने अदालत का सहारा लिया और वह सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में सन् 1985 में एक पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाया कि ''अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत वह गुजारे भत्ते की हकदार है।''

❖ सन् 1978 में महिला दक्षता समिति ने दहेज–मृत्यु पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने कहा कि वे 'दहेज–मृत्यु' नही 'दहेज–हत्या' थी। दहेज के खिलाफ अभियान छेड़ने की अग्रणी संस्थाए, महिला दक्षता समिति और स्त्री संघर्ष थे।

❖ महिला आन्दोलन का ध्यान इन अभियानों के अलावा भी कई मुद्दों की ओर गया। यों तो दहेज–मृत्यु और बलात्कार की घटनाएं दोनों ही कोई उस 'समय विशेष' की घटनाएं नहीं थीं, बल्कि पहले भी होती रहती थीं पर 70 और 80 के दशक में एक्टीविस्टों का इस ओर ध्यान खिंचने के कई कारण थे। सत्तर के दशक के मध्य में आपातकाल की समाप्ति के बाद कई महिला एक्टीविस्ट वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ अपना राजनैतिक कैरियर शुरू कर रही थी। उन्होंने महिला सम्बन्धी कई मुद्दों को उठाया। आने वाले समय में उन्होने बाहरी क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र में होने वाली हिंसा, युद्ध, टकरावों, दगों और आक्रामक स्थितियों में की जाने वाली हिंसा, कार्यस्थल पर हिंसा मीडिया में हिंसा, घरों में हिंसा और समान नागरिक होने के नाते उनके बुनियादी अधिकार उन्हें न मिलने आदि के मुद्दों को भी उठाया।

❖ महिला एक्टीविस्टों ने आम जन का ध्यान समस्या की गंभीरता की ओर आकर्षित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड नाटक, गीत–रचना, घरने व सभाएं आदि आयोजित की गयी। इसी समय कानूनी मदद व परामर्श केन्द्र स्थापित किए गए। धीरे–धीरे काम इतना बढ़ा कि सड़कों पर होने वाले धरने, आम सभाए व विरोध–प्रदर्शन पृष्ठभूमि में चले गएं।

❖ 1983 में बलात्कार के खिलाफ कानून में संशोधन हुआ। राज्य ने महिलाओं के खिलाफ दहेज व अन्य अपराधों से निपटने के लिए विशेष सैल बनाए। धीरे–धीरे कई महिला पुलिस थाने स्थापित

हुए। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर महिलाओं ने कई और बदलावों की मांग की। फलस्वरूप धारा 498–ए बनी जिससे घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को कुछ राहत मिली। चूंकि उस समय काफी ऊर्जा राज्य के सम्बोधन में जा रही थी। कई विरोधो – बलात्कार, दहेज, सती, खतरनाक गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल, भ्रूण जल परीक्षण ने राज्य से कानूनों में बदलाव की माँग का रूप लिया। कई लड़ाइयाँ कोर्ट में भी लड़ी गईं।

- 1983 और 1988 के मध्य हुए बलात्कार के मामलों की सांख्यिकी के अनुसार प्रत्यके चार घण्टे में 3 बलात्कार होते थें तथा प्रतिवर्ष 75000 मामले होते थे। दिल्ली के निर्भया कांड ने बलात्कार की समस्या की प्रकृति को और भी भयानक बना दिया। इसके पश्चात् महिला एक्टीविस्टों के साथ ही पूरे देश ने बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ आन्दोलन छेड़ दिया। और महिला एक्टीविस्टों का साथ दिया युवा लड़के–लडकियों ने।
- सन् 1987 में एक युवती की हिंसक मृत्यु की ओर लोगों का ध्यान खिंचा। ''रूपकंवर'' नामक युवती के पति की मृत्यु शादी के महज 8 महीने बाद ही एक सड़क दुर्घटना में हो गयी। रूपकंवर को जबर्दस्ती पति की चिता पर बैठाया गया और वह चिता से उठकार भाग न पाए इसके लिए चारों ओर से हथियारबन्द लोग उसे घेरे रहे। शंख और घंटे आदि के शोर में उसकी मदद की पुकार को भी दबा दिया गया। लेकिन जल्दी ही इस घटना को भुलाकर एक मिथक का रूप दे दिया गया। रूपकंवर महासती को राजस्थान की परम्परा चलाने वाली देवी के रूप में पूजा जाने लगा। कहा गया कि उसने मृत्यु को स्वेच्छा से ग्रहण कर बड़ी हिम्मत व बहादुरी का काम किया था यद्यपि सती की घटनाएं दहेज की तरह आम नहीं थी, फिर भी इस ओर सार्वजनिक ध्यान खिंचा और लोगों ने इसका विरोध किया।
- हाल के एक सर्वेक्षण में 50 प्रतिशत महिलाओं द्वारा वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की हिंसा की बात स्वीकार की गई। ऐसे मामले कानूनी एजेंसियों तक कम ही पहुँच पाते है क्योंकि पति–पत्नी के बीच तकरार को निजी मामला माना जाता है।

Child Sex Ratio O - 6 yrs 1981 & 2011

Year	1981	1991	2001	2011
Girls/1000 Boys	962	945	927	914

Sex Ratio in India and different states of India

	Boys O-1 age	**Girrs O-1 age**	**Sex Ratio (Boys per 100 girls)**
India	10,633,298	9,677,936	109.9
Jammu & Kashmir	1,54,761	120,551	128.4
Haryana	254,326	212,408	119.7
Punjab	2,26,929	193021	117.6
Delhi	135,801	118,896	114.2
U.P.	1,844,947	1655,612	111.4

India labour and Employment Report-2014

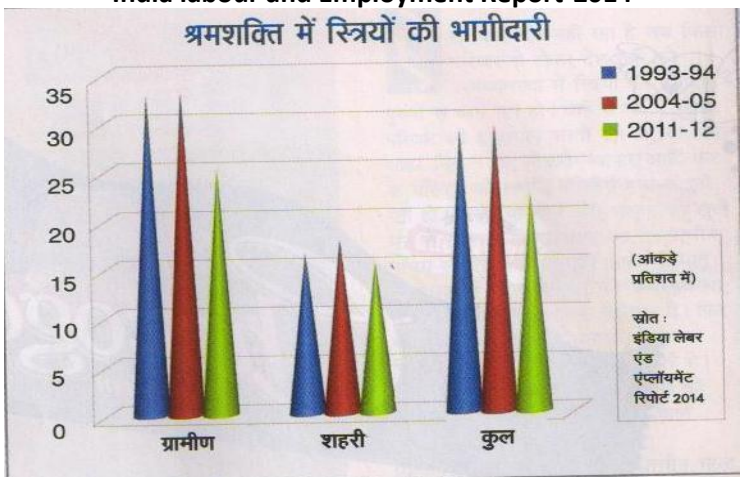

- Child Sex Ratio (0-6years) के आँकडो के अनुसार लड़कियो का प्रतिशत प्रति 1000 लडकों की अपेक्षा सन् 1981 से 2011 तक लगातार घटता जा रहा है जो हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है।
- इंडिया लेबर एण्ड एम्प्लायमेन्ट रिपोर्ट 2014 के अनुसार श्रम शक्ति में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक है, परन्तु कुल मिलाकर भी महिलाओं की श्रम शक्ति का प्रतिशत बहुत कम (30 प्रतिशत) है।
- आँकड़ों के अनुसार 2011–2012 में श्रम शक्ति में स्त्रियों की भागीदारी का प्रतिशत काफी कम हो गया है, जिसका प्रमुख कारण लिंग आधारित हिंसा हो सकता है।

महिलाओं की विशेष पहल

- सन् 1919 में जब मताधिकार के प्रश्न पर बात करने के लिए 'साउथ बोरो कमीशन' भारत आया तो **श्रीमती एनी बेसेन्ट** के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल भारतीय महिलाओं के मताधिकार के पक्ष में दबाव डालने के लिए आयोग से मिला था। इस प्रतिनिधि मण्डल ने महिलाओं को 1920 में मताधिकार दे दिया, इसका अनुसरण करते हुए 1921 में मुम्बई विधान परिषद ने भी ऐसा ही निर्णय पारित कर दिया। जब 1926 को चुनाव हुए तो मद्रास की विधान परिषद के लिए **कमला देवी चट्टोपाध्याय** और **हेमन एंजेलो** ने भी चुनाव लड़ा था। 1929 तक सभी प्रान्तीय विधान परिषदों में महिलाओं को मताधिकार दे दिया था। इसके बाद महिलाओं को विधान परिषद के लिए मनोनीत भी किया जाने लगा।
- 1929 में लन्दन में हुए पहले गोलमेज सम्मेलन के लिए **आल इन्डिया वूमेन्स कान्फ्रेन्स** का पुरजोर आग्रह था कि सम्मेलन में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो। परिणामस्वरूप सरकार ने **श्रीमती राधाबाई सुभरयान** और **बेगम शाहनवाज** को प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत कर दिया।
- नागरिक अवज्ञा आन्दोलन में महिलाओं की हिस्सेदारी ने राष्ट्रवादी नेतृत्व को काफी प्रभावित किया और कांग्रेस ने 1931 के कराँची अधिवेशन में मूल अधिकारों का घोषणापत्र पारित कर दिया। इस घोषणापत्र से पुरूषों के समकक्ष स्त्रियों को समान मताधिकार की मांग को और प्रखरता मिली।
- समान नागरिक अधिकार के लिये एक महत्वपूर्ण विधेयक हिन्दू कोड बिल का प्रस्ताव रखा गया, जिसका तत्कालीन समय में अत्यधिक विरोध करने का सबसे प्रमुख कारण ''पितृसत्ता'' जो कि परम्परागत परिवार व्यवस्था का आधार है, को चुनौती का खतरा था। यह एक बेहद स्पष्ट मामला था, जिसने जाहिर कर दिया कि महिलाओं को समानता के उद्देश्य को ठोस शक्ल देने का उद्देश्य रूढिवादी शक्तियों के साथ सीधे–सीधे टकराव में था। आखिरकार, विधेयक को कई धाराओं में तोड़ देने और महिलाओं के अनेक अधिकारों को काफी कमजोर कर देने के बाद 1956 में पारित किया गया।

- एक मौके पर **रेणुका रे** ने माँग की थी कि विवाह व उत्तराधिकार संबन्धी भेदभाव पर आधारित कानूनों का निषेध करने के लिए संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया जाए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। (एवरेट ; 1985 पृष्ठ 162)
- भारत में महिलाओं की स्थिति पर कमेटी की रिपोर्ट ने 1974 में समान नागरिक की आवश्यकता की सिफारिश की थी। उससे पहले, 1971 में पुणे में सम्पन्न हुए **मुसलिम महिला सम्मेलन** में मुसलिम महिलाओं ने भी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को स्वर दिया था। (हक्सर, 1990) भारत में महिला आन्दोलन के आगे बढ़ने के साथ 1975–85 के दौरान (शताब्दी के नवें दशक को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला दशक के रूप में घोषित किया गया था), अनेक महिला संगठन अस्तित्व में आए। ये संगठन परामर्श व संसाधन केन्द्रों के रूप में काम करने के साथ–साथ, कभी–कभी जरूरतमंद महिलाओं की सहायता भी करते थे। (शाह व गाँधी 1993)। अलग–अलग महिलाओं के साथ काम करने पर अनेक जीवन के अदृश्य तथ्य भी सामने आने लगे।
- इसके अतिरिक्त 1983 में बलात्कार के खिलाफ कानून में संशोधन हुआ। राज्य ने महिलाओं के खिलाफ दहेज व अन्य अपराधों से निपटने के लिए विशेष सैल बनाया। धीरे धीरे कई महिला पुलिस थाने स्थापित हुए। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर महिलाओं ने कई और बदलाव की माँग की, परन्तु एक्टीविस्टों को एक जटिलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने पाया कि कई बार अपने प्रति की गई हिंसा में महिलाओं की खुद की रजामंदी रहती है। अर्थात् वे खुद ये सब सहती रही और समाज और संस्कार के नाम पर बली चढ़ती रही हैं।
- महिलाओं के अनुभवों ने स्पष्ट किया कि सम्पत्ति अधिकारों, उत्तराधिकार और मायके की सम्पत्ति पर अधिकार के अभाव ने महिलाओं की स्थिति बेहद कमजोर कर दी है और यह उत्पीड़न और अधिकार हीनता सारे समुदायों में समान रूप से व्याप्त थी। **लता मित्तल, मैरी राय, शाहबानों, शहनाज शेख** और ऐसे ही कई नाम भेदभावपूर्ण निजी कानूनों के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक बन चुके है। आन्दोलन के भीतर अपने संघर्षों को मजबूती देने की जरूरत के साथ–साथ, गहरे तौर पर महसूस किया गया कि ऐसे कानून सुधारों की भी मांग उठाई जाए जो सभी महिलाओं को लाभ पहुँचाएं।
- भारत को वर्ष 1979 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था तब यह पुरस्कार **मदर टेरेसा** को दिया गया। जो कि एक महिला थी। जिन्होंने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया।
- मदर टेरेसा ने "Missionary of Charity" की स्थापना की। जिसमें 2012 तक 4500 सिस्टर रहती थीं। और यह 133 देशों में सक्रिय है। ये मिशनरी HIV, AIDS, T.B., कोढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को सेवा प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों तथा परिवारों के लिए निर्देशन कार्यक्रम संचालित करती है। अनाथालय, तथा विद्यालयों का भी संचालन करती है। और गरीबों को मुफ्त सेवा प्रदान करती हैं।
- **किरन बेदी** भारत की प्रथम महिला आई0पी0एस0 ऑफिसर थीं। जिन्होंने हिंसा के विरूद्ध आवाज उठाने में महिलाओं को हर तरह से प्रेरित किया है और सहायता की है।
- गुजरात में 'डीकरी बचाओ योजना' अभियान की शुरूआत की गयी है।
- हमारे देश की भूतपूर्व राष्ट्रपति **प्रतिभा पाटिल** की 'बालिका बचाओ योजना' कार्यरत है।
- '**इंदिरा गाँधी** बालिका सुरक्षा योजना' के तहत पहली कन्या के जन्म के बाद स्थायी परिवार नियोजन अपनाने वाले माता–पिता को 25 हजार रूपये व दूसरी कन्या के जन्म के बाद स्थायी परिवार नियोजन अपनाने वाले 20 हजार, प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किये जा रहे है।

हिंसा पर रोक हेतु भारतीय नियम

- 1774 में बालिका हत्या निषेध अधिनियम
- सती प्रथा निषेध कानून।1829
- बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929
- विशेष विवाह अधिनियम 1954
- हिन्दू विवाह तथा विवाह–विच्छेद अधिनियम 1955

- दहेज निरोधक अधिनियम' 1961
- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005

10 जरूरी कानूनी अधिकार

1. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अनुसार विवाह के बाद पति/पत्नी विवाहेतर सम्बन्ध बनाये, जीवन साथी के साथ क्रूरता से पेश आये, शारीरिक मानसिक हिंसा करे, धर्म परिवर्तन करने, जीवन साथी को छोड़ कर चले जाये तो इसे तलाक का आधार माना जा सकता हैं। इस अधिनियम की धारा 13 ए और 13 बी के अनुसार दोनों अकेले या साथ–साथ तलाक लेने के लिए आवेदन कर सकते है। 1976 के संशोधन के अनुसार पति पत्नी एक या अधिक साल से अलग रह रहे है तो भी तलाक के लिए आवेदन कर सकते है।
2. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार अन्याय, प्रताड़ना के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए स्त्रिया उसी घर में रहने का अधिकार प्राप्त कर सकती हैं, जिसमें वे पहले से रह रही हो। इसके लिए वे सीधे, बिना वकील के भी न्यायालय में गुहार लगा सकती हैं।
3. भारतीय दण्ड संहिता 498 ए के तहत देह प्रताड़ना के दोषी को आजीवन कारावास की सजा हो सकती हैं।
4. तलाक के बाद स्त्री को स्त्रीधन, बच्चो की कस्टडी और गुजारा–भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन फैसला अदालत साक्ष्यों के आधार पर ही करती है।
5. कानूनन गर्भपात अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन स्त्रीयों के स्वास्थ्य को कोई बड़ा खतरा होने पर कानूनन गर्भपात का इजाजत देता है। किसी स्त्री को दबाव डालकर गर्भपात के लिए बाध्य करना कानूनन जुर्म है।
6. विवाहित स्त्री हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्सन 24 के तहत गुजारा भत्ता ले सकती है, उन्हें एलीमनी भी मिल सकती है। पति की मृत्यु के बाद यदि स्त्री दूसरा विवाह नहीं करती तो उसे सास–ससुर से भी मेन्टेनेंस लेने का अधिकार है।
7. हिन्दू मैरीज एक्ट 1955 के सेक्सन 26 के अनुसार पत्नी अपने बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और भरण पोषण के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकती हैं।
8. हिन्दू मैरीज एक्ट के सेक्सन 27 के तहत स्त्री अपने और पति की साझी सम्पत्ति के बटवारे की मांग कर सकती है। इसके अलावा स्त्री धन पर पूरी तरह उसका ही अधिकार है।
9. विवाहित–अविवाहित स्त्री को पिता की सम्पत्ति में बराबर का अधिकार है। विधवा बहू भी ससुर से सम्पत्ति में हिस्सा पाने की हकदार है।
10. लिव–इन–रिलेशनशिप में स्त्री पार्टनर को भी वही दर्जा प्राप्त है, जो किसी विवाहित स्त्री को मिलता है। यदि पार्टनर शारीरिक–मानसिक तौर पर प्रताड़ित करे तो घरेलू हिंसा कानून की मदद ली जा सकती है। ऐसे सम्बन्ध से पैदा हुई संतान वैध मानी जायेगी और उसे पिता के सम्पत्ति में अधिकार होगा। पहली पत्नी के जीवित रहते हुए यदि कोई पुरुष दूसरी स्त्री के साथ लिव–इन–रिलेशनशिप में रहे तो ऐसी स्त्री को भी उससे गुजारा पाने का अधिकार रहेगा।

महिला हिंसा निरोधक कानूनःदस्तावेजों से क्रियान्वयन तक

हम संविधान की उस इच्छा का सम्मान करते हैं कि ''कानूनी प्रक्रिया व कानून में लचीलापन हो ताकि लोगों के साथ कहीं अन्याय न हो जाए।'' परन्तु न्यायिक संस्थाओं से महिलाओं को मिलने वाले न्याय में देरी से, मिले न्याय का महत्व ही समाप्त हो जाता है। महिलाओं को इन कानूनी मामलों के दौरान इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है कि उन्हें लगता है, कि ''अपराध अन्य व्यक्ति ने किया है, या खुद मैंने।'' इसमें लगने वाला समय इतना लम्बा होता है कि महिलाएं या तो केस वापस ले लेती हैं, परिस्थितियों से समझौता कर लेती हैं, और या तो केस बीच में ही छोड़ देती हैं। और अगर उन्हें न्याय मिल भी जाये तो इतना समय व्ययतीत होने के पश्चात् उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इसमें होने वाले कानूनी दाँवपेच के कारण अकसर जो सत्य होता है, वह छुपा रह जाता है और महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है।

डॉ0 अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा, वह दहाडना सीख जाएगा, स्त्रियां शायद दहाड़ना सीख जाए इसलिए उन्हें इस शिक्षा रूपी शेरनी के दूध से दूर ही रखे

जाने की साजिश हो रही है। वो पढ़ेगी तो अपने अधिकारों को जानेंगी, अपने लिए बने कानूनों को जानेंगी, समानता की बात करेंगी, उनमें चेतना आयेगी और वह इस पुरुष सत्ता को चुनौती देंगी।

संविधान में महिला हिंसा रोकने के लिए बहुत से कानून जरूर बने हैं, परन्तु इन कानूनों पर से धूल झाड़ने की मनसा शायद समाज व कानूनी मशीनिरियों की नहीं है।

एक और प्रयास

इन तमाम नियम कानूनों के अतिरिक्त निम्न क्षेत्रों में एक और प्रयास करने की आवश्यकता है।

- निकृष्ट मानसिकता को दूर करना।
- उचित सामाजिक परिवेश का निर्माण करना।
- पुरुष प्रधान समाज में बदलाव की आवश्यकता।
- अशिक्षा को समूल नष्ट करना।
- रूढिवादी मान्यताओं में उदारीकरण।
- अमानवीयता का विनाश
- महिलाओं को आत्मविश्वास में बढोत्तरी
- न्याय व्यवस्था को वास्तविक धरातल के अनुरूप तैयार करना।
- प्रशासन की सक्रियता को बढ़ाना।
- समाज में जागरूकता का संचार करना।
- भारतीय नियम–कानूनों के समुचित प्रयोग की व्यवस्था।
- आज स्त्री हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है बुलंद हौसले के लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते समय–समय पर उसकी राह में रोड़े अटकाए जाते हैं। स्त्रियों को सफलता के अवसर देने के लिए उन्हें सुरक्षित माहौल देना जरूरी है।
- महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए बच्चों को बचपन से ही स्त्री का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

महात्मा बुद्ध कहते हैं– *''अत दीपो भवः अत शरणा''*

अर्थात् ''तुम अपे दीपक, मार्गदर्शक स्वयं बनों, अपनी शरण, अपने सहारे स्वयं बनों।''

आज महिलाओं को भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और उन्हें अपनी ढाल स्वयं बनना होगा। आज महिलाओं को अपने अन्दर आत्मविश्वास लाने की आवश्यकता है तभी वे अपनी तथा अन्य औरतों की भी सुरक्षा का दायित्व सम्भाल सकती हैं।

References :

- Chopra, J.K. women in the Indian Parliament: A Critical study of their Role New Delhi : Nihal Publication, 1993
- Civil Codes and Personal Laws, Reversing the option, working group on women's Right, (1995) Nov 18 Paper mimeo.
- Twards Equality: Report of the Nation Committee on the Status of women in India Ministry of Human Resource Development, Deptt of Social Welfare, New Delhi – 1974
- साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता (अक्टूबर 2013) : नारीवादी राजनीतिः संघर्ष एवं मुद्दे।
- यूथ कम्पटीशन टाइम्स
- सिंह, अमिता, लिंग एवं समाज, पहला संस्करण 2014, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
- श्रीवास्तव, सुधारानी, भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, तृतीय विस्तृत संशोधित संस्करणः2007, कामनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- चौधरी, एम0पी0, महिलाऐ सामाजिक अधिकार, प्रथम संस्करण 2006, दिल्ली।

●